

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 01, बुधवार, श॥के 1947- जनवरी 21, 2026 Magha 01, Wednesday, Saka 1947- January 21, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 11, 2025

नोटस

प्रपत्र-ई

(नियम 13(1) के अन्तर्गत)

कार्यालय लैण्ड पूलिंग अधिकारी] जविप्रा] जयपुर
लैण्ड पूलिंग योजना अचरावाला, जयसिंहपुरा
उर्फ तेजवाला एवं अभयपुरा

संख्या एफ-1(118)अ.आ./लै.पू.अ/25 :-मैं, प्रतिभा पारीक लैण्ड पूलिंग अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि अवाप्ति कार्यालय) लैण्ड पूलिंग योजना अचरावाला जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला एवं अभयपुरा के सभी हितबद्ध एवं सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करती हूं कि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार ने मुझे उपरोक्त योजना के लिए लैण्ड पूलिंग अधिकारी (Land Pooling Officer) नियुक्त किया है।

राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम नियम 2020 के नियम 13 के उपनियम (Sub Rule) 1 के अनुसार मैं सूचित करती हूं कि 27.09.2025 को मेरे द्वारा लैण्ड पूलिंग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

उक्त योजना जयपुर क्षेत्र के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान (MDP) 2025 के क्षेत्राधिकार में राज्य राजमार्ग 12 (डिग्गी मालपुरा रोड) व दक्षिण रिंग रोड परियोजना की बाहरी सीमा पर स्थित है। यह योजना जयपुर जिले की सांगानेर तहसील के राजस्व ग्राम अचरावाला जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला एवं अभयपुरा के 172.61 हेक्टेयर पर बनाई गई है। जिसमें जेडीए योजना आदित्य विहार का क्षेत्र शामिल नहीं है।

योजना सीमा का विवरण निम्नानुसार है:-

- उत्तर-पूर्वी सीमा रिंग रोड योजना की सड़क एल.पी.एस स्थल की उत्तर-पूर्वी सीमा से सटी हुई है। रिंग योजना सड़क का (R.O.W.) एल.पी.एस स्थल में शामिल नहीं है।
- दक्षिण-पूर्वी सीमा एल.पी.एस स्थल की दक्षिण-पूर्वी सीमा डिग्गी मालपुरा रोड (एस.एच 12) से लगती है। डिग्गी मालपुरा रोड का (R.O.W.) एल.पी.एस स्थल क्षेत्र से बाहर है।
- दक्षिण-पश्चिमी सीमा एल.पी.एस स्थल की दक्षिण-पश्चिमी सीमा प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी जेड.डी.पी सड़क के मार्ग का अनुसरण करती है, जो डिग्गी मालपुरा रोड को जयसिंहपुरा उर्फ

तेजावाला गांव से जोड़ती है। प्रस्तावित जेड.डी.पी सड़क का (R.O.W.) एल.पी.एस स्थल का हिस्सा है। प्रस्तावित एल.पी.एस स्थल के क्षेत्र में जेडीए योजना आदित्य विहार द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल नहीं है।

- उत्तर-पश्चिम सीमा एल.पी.एस साइट की उत्तर-पश्चिम सीमा प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी जेड.डी.पी सड़क के साथ संरेखित है, जो जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा गांवों को उत्तर में रिंग रोड योजना सड़क से जोड़ती है। प्रस्तावित जेड.डी.पी सड़क का हिस्सा एल.पी.एस साइट में शामिल है।

राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम 2020 के नियम 13 के उपनियम (3) के तहत में, उपरोक्त लैंड पूलिंग योजना में किसी भी मामले में हितबद्ध एवं प्रभावित समस्त व्यक्ति/संस्था/पक्षों को सूचित करती हैं कि राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 (एक्ट सं-14/2018) की धारा 23 में उल्लेखित प्रकरणों के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्यों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस अधिसूचना के राजस्थान राज्य पत्र में प्रकाशित होने के 20 दिवस के अन्दर पेश करे। कोई भी व्यक्ति/संस्था/पक्ष जो उपरोक्त लैंड पूलिंग योजना से हानिकारक रूप से प्रभावित हो तो अधिनियम की धारा-46 के तहत क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने का हकदार है, एवं इस हेतु अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह के भीतर आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता लैंड पूलिंग अधिकारी को पेश कर सकते हैं।

सरकार द्वारा स्वीकृत उपरोक्त ड्राफ्ट लैंड पूलिंग योजना की एक प्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों, विवरणों, योजना प्रपत्रों सहित लैंड पूलिंग अधिकारी के कार्यालय में राजकीय अवकाश को छोड़कर समस्त कार्य दिवसों में कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगी। इस योजना के किसी भी मामले में प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति/संस्था/पक्ष से अनुरोध है कि वे लैंड पूलिंग अनुभाग, लैंड बैंक प्रकोष्ठ, पार्किंग ब्लॉक तृतीय मंजिल रूम नम्बर पी.बी.टी.एफ. 325, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर वOnlinewww.jda.rajasthan.gov.in योजना के मानचित्र व अन्य दस्तावेज को देख सकते हैं, जहाँ योजना के प्रस्तावों को समझाने का प्रबन्ध किया गया है।

प्रतिभा पारीक,
लैंड पूलिंग अधिकारी
अतिरिक्त आयुक्त
(भूमि अवाप्तिकार्यालय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।